






अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO), सिवाना

चूनाराम बनाम पन्नाराम वगैरह

किस्म मुकदमा धारा RTA Act 188

नं. 51/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.07.2021	<p>वादी की ओर से यह वाद वकील श्री कपिल श्रीमाली द्वारा रा.का.अ. की धारा 188 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को तलबी हेतु सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक 06.09.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना</p>	
06.09.21	<p>पत्रावली धारा 188 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को तलबी हेतु सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक 22.10.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
22.10.21	<p>पत्रावली आज पेश हुई आज SDO साहज प्रशासन गणों के सेज इमियान संवत्सरो पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 04.02.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
04.02.22	<p>पत्रावली आज पेश हुई वादी विपक्ष अस्थित। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील अदम तामील प्राप्त नहीं हुआ। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.3.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना</p>	
28.3.22	<p>पत्रावली आज पेश हुई वादी व वादी अधिपक्ष अस्थित। आज न्यायालय समय में वादी व वादी अधिपक्ष के बीच - अलग समय में तीन-तीन बार अग्रज की गई मगर कोई अस्थित नहीं अग्रज।</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

महाराष्ट्र शासन
अध्यापक महासंघ
अध्यक्ष महाराष्ट्र
अध्यक्ष महाराष्ट्र
अध्यक्ष महाराष्ट्र

अतः पाठ वादी व पाठो व पाठो के अतिरिक्त
अदम खाजिरी व अदम पैरवी में अतिरिक्त किया
जाता है। अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः
(क)

सहायक कलक्टर ।
(S.O.O.) सिवाना